क्रम-संख्या- 35 (क-1)

एस०एस०पी०/एल०-
91/2008-10
ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 03 फरवरी, 2010
माघ 14, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय अनुभाग-1

संख्या 174/28-1-2010
लखनऊ, 03 फरवरी, 2010

अधिसूचना/संशोधन

Medical Hardship (चिकित्सकीय व्यथा) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य एक-दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के संबंध में अधिसूचना संख्या-194/28-1-2009, दिनांक 04 फरवरी, 2009, सपठित संशोधित अधिसूचना संख्या 338/28-1-2009, दिनांक 06 जुलाई, 2009 में प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

राज्य परामर्शीय समिति की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2010 के निर्णयानुसार चिकित्सकीय व्यथा के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी, 2010 तक उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर ही विचार किया जायेगा। इसके उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,
आर0 एम0 श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 1100 राजपत्र-(हिन्दी)-2010-(2379)-586 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 1 सा० समन्वय पुनर्गठन-2010-(2380)-500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।